न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :4ए/2021

अपीलांट

1. केवलराम पुत्र हरिराम उम्र 45 वर्ष
2. वरदाराम पुत्र हरिराम उम्र 50 वर्ष जाति चौधरी निवासीगण बाला, तहसील आहोर, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 10/02/2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा दावा संख्या 15/2021 बउनवान केवलराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में एक दावा बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाला तहसील आहोर के पुराने खसरा नंबर 98 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी भूमि वादीगण के दादा भेरा पुत्र सुरतींग कौम कलबी, साकिन बाला के पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में अमल दरामलद थी, किन्तु संवत 2056 से 2059 की जमाबंदी में वादीगण के दादा भेरा का देहान्त हो जाने के कारण उसके स्थान पर वादी के पिता हरीया पुत्र भेरा का नाम अमल दरामद किया गया एवं नवीन खसरा नंबकर 172 का कुल रकबा 4.30 हैक्टेर यानि 26.87 बीघा आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 0.50 हैक्टेर भूमि अपीलांट के पिता हरीया के खाते में कम दर्ज की गई। अत ग्राम बाला के वर्तमान खसरा नंबर 172 रकबा 1.70 हैक्टेर की भूमि में पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार कम रकबा 0.50 हैक्टेर भूमि खसरा नंबर 664 में से कम की जाकर खसरा नंबर 172 का कुल रकबा 2.20 हैक्टेर अपीलांटगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाकर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। ग्राम बाला तहसील आहोर जिला जालोर के पुराने खसरा नंबर 98 कुल रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी अपीलांटगण के दादा भैरा पुत्र सूरतींग कौम कलबी निवासी बाला के नाम पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2028 से 2031 मे अमल दरामद थी। रीसेटलमेंट कार्यवाही के दौरान ग्राम बाला के पुराने खसरा नंबर 98 के नवीन खसरा नंबर 172 बनाये गये, जिसकी नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति अपील के साथ प्रस्तुत है। सवंत 2056 से 2059 की जमाबंदी में अपीलांटगण के दादा भैरा का देहान्त हो जाने के कारण इनके स्थान पर अपीलांट के पिता हरीया पुत्र भेरा का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया एवं नवीन खसरा नंबर 172 का कुल रकबा 4.30 हैक्टेर यानि 26.87 बीघा दर्ज किया गया, जबकि पुराने रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा में से 0.50 हैक्टेर भूमि विधि विरूद्ध तरीके से सेटलमेंट कमेटी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कम कर दी गई, जबकि सेटलमेंट कमेटी को पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार नवीन रकबा में हुबहु दर्ज करना चाहिये था। अपीलांटगण का पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार मौक पर आज भी शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। अपीलांटगण की खातेदारी आराजी वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में 0.50 हैक्टेर रकबा कम दर्ज होकर पडौसी खसरा नंबर 664 में दर्ज होने से राजस्व कर्मचारी बेदखली की धमकी देते है, जबकि अपीलांटगण का गैर कानूनी तरीके से पुराने राजस्व रेकर्ड से विपरित 1 इंच सरकारी भूमि पर भी अनाधिकृत कब्जा नहीं है। अपीलांटगण का मौके पर पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काश्त है एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने विनिर्णयो में समय–समय पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये है कि सेटलमेंट कमेटी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पुराने राजस्व रेकर्ड को हुबहु इन्द्राज करना होता है एवं उनको बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रेकर्ड में फेरबदल करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उक्त समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय को अपास्त फरमाया जावे। एवं ग्राम बाला के वर्तमान खसरा नंबर 172 रकबा 1.70 हैक्टेर की भूमि में पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार कमी रकबा 0.50 हैक्टेर भूमि खसरा नंबर 664 में से अपील के साथ संलग्न नक्शा शैड्यूल 'अ' में मार्क 'ए'बी'सी'डी' भू–भाग वाली भूमि कम की जाकर खसरा नंबर 172 में जोडी जाकर खसरा नंबर 172 का कुल नवीन रकबा 2.20 हैक्टेर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मं दर्ज किये जाने के रेस्पोडेन्ट तहसीलदार आहोर को आदेश प्रदान करावे एवं अपीलांटगण के पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार काबिज स्थित पुराने माठ में रेस्पोडेन्ट नक्शे में मार्क 'ए'बी'सी'डी' भू–भाग पर किसी भी प्रकार की तोड–फोड नहीं करे व किसी अन्य से करावे एवं वर्तमान माठ पर खडे पुराने दरकत को नहीं हटावे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोडेन्ट का पाबंद करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में एक दावा बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाला तहसील आहोर के पुराने खसरा नंबर 98 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी भूमि वादीगण के दादा भेरा पुत्र सुरतींग कौम कलबी, साकिन बाला के पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में अमल दरामलद थी, किन्तु संवत 2056 से 2059 की जमाबंदी में वादीगण के दादा भेरा का देहान्त हो जाने के कारण उसके स्थान पर वादी के पिता हरीया पुत्र भेरा का नाम अमल दरामद किया गया एवं नवीन खसरा नंबकर 172 का कुल रकबा 4.30 हैक्टेर यानि 26.87 बीघा आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 0.50 हैक्टेर भूमि अपीलांट के पिता हरीया के खाते में कम दर्ज की गई। अत ग्राम बाला के वर्तमान खसरा नंबर 172 रकबा 1.70 हैक्टेर की भूमि में पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार कम रकबा 0.50 हैक्टेर भूमि खसरा नंबर 664 में से कम की जाकर खसरा नंबर 172 का कुल रकबा 2.20 हैक्टेर अपीलांटगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाकर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट को कोई कब्जा काश्त नहीं है। एवं न ही अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत हाजा न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में एक दावा बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाला तहसील आहोर के पुराने खसरा नंबर 98 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी भूमि वादीगण के दादा भेरा पुत्र सुरतींग कौम कलबी, साकिन बाला के पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में अमल दरामलद थी, किन्तु संवत 2056 से 2059 की जमाबंदी में वादीगण के दादा भेरा का देहान्त हो जाने के कारण उसके स्थान पर वादी के पिता हरीया पुत्र भेरा का नाम अमल दरामद किया गया एवं नवीन खसरा नंबकर 172 का कुल रकबा 4.30 हैक्टेर यानि 26.87 बीघा आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 0.50 हैक्टेर भूमि अपीलांट के पिता हरीया के खाते में कम दर्ज की गई। अत ग्राम बाला के वर्तमान खसरा नंबर 172 रकबा 1.70 हैक्टेर की भूमि में पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार कम रकबा 0.50 हैक्टेर भूमि खसरा नंबर 664 में से कम की जाकर खसरा नंबर 172 का कुल रकबा 2.20 हैक्टेर अपीलांटगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाकर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। हस्तंगत प्रकरण में अपीलांटगण ने अपील के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम बाला के पुराने खसरा नंबर 98 के नवीन खसरा नंबर 172 बनना स्पष्ट है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांटगण ने पुराने खसरा नंबर 98 कुल रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा पर अपने पूर्वजो का कब्जा होने का कथन किया है एवं इस संबध में पुरानी जमाबंदी संवत 2028 से 2031 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिससे अपीलांटगण के दादा भैरा पुत्र सूरतींग कौम कलबी निवासी बाला का पुराने खसरा नंबर 98 कुल रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा पर कब्जा पूर्ण रूप से स्पष्ट है। अपीलांटगण ने अपनी अपील में मुख्य बिन्दु यह उठाया है कि ग्राम बाला तहसील आहोर के पुराने खसरा नंबर 98 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी भूमि वादीगण के दादा भेरा पुत्र सुरतींग कौम कलबी, साकिन बाला के पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में अमल दरामलद थी, किन्तु संवत 2056 से 2059 की जमाबंदी में वादीगण के दादा भेरा का देहान्त हो जाने के कारण उसके स्थान पर वादी के पिता हरीया पुत्र भेरा का नाम अमल दरामद किया गया एवं नवीन खसरा नंबकर 172 का कुल रकबा 4.30 हैक्टेर यानि 26.87 बीघा आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 0.50 हैक्टेर भूमि अपीलांट के पिता हरीया के खाते में कम दर्ज की गई। इस संबध में 1998(5) आर.बी.जे पृष्ठ 610 में माननीय राजस्व मंडल की खंडपीठ द्वारा अपने विनिर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि During the settlement operations settlement authorities not change the revenue record without orders of the competent Court. इसी प्रकार 2001(8) आर.बी.जे पृष्ठ 170 में माननीय राजस्व मंडल की खंडपीठ द्वारा अपने विनिर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि Settlement department must repeat the previous entries made in the revenue record. इसी माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने 'इदान बनाम स्टेट' 2001(1) आर.आर.टी पृष्ठ 244 पर उद्वत है उसमे यह अवधारित किया है कि Settlement department has no competence to change the kind of land, rights of tenure-holders entries in revenue record-He has also no power to confer khatedari rights on any person- power limited to normal settlement operations. इसी प्रकार 2008 आर.आर.टी. (1) पृष्ठ 151 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गीगाराम बनाम राजस्व मंडल में यह निर्धारित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 88 घोषणा हेतु वाद खसरा नंबर 734 के प्रार्थीगण खातेदार कृषक घोषित हुए राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय उल्टा तथा राजस्व मंडल द्वारा यथावत रखा गया। बंदोबस्त विभाग को विघमान अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है चाहे पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 04 का कब्जा स्वीकार किया गया हो–रेस्पोडेन्ट नंबर 4 को स्वतंत्र वाद पेश करना चाहिए–निर्णीत निर्णय व डिक्री उलटने में राजस्व अपील प्राधिकारी तथा राजस्व मंडल न्यायसंगत नहीं थे। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तो में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज को बदलने का अधिकार नहीं है। हस्तगत प्रकरण में रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि ग्राम बाला तहसील आहोर के पुराने खसरा नंबर 98 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी भूमि अपीलाटगण के दादा भेरा पुत्र सुरतींग कौम कलबी, साकिन बाला के पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में अमल दरामलद थी, उसके पश्चात संवत 2056 से 2059 की जमाबंदी में वादीगण के दादा भेरा का देहान्त हो जाने के कारण उसके स्थान पर वादी के पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हरीया पुत्र भेरा का नाम अमल दरामद किया गया एवं नवीन खसरा नंबर 172 का कुल रकबा 4.30 हैक्टेर यानि 26.87 बीघा आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 0.50 हैक्टेर भूमि अपीलांट के पिता हरीया के खाते में कम दर्ज़ की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। सेटलमेंट विभाग को राजस्व रेकर्ड का परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके विपरित पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मंडल के विनिर्णयो की रोशनी में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर आहोर द्वारा दावा संख्या 15/2021 बउनवान केवलराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 को अपास्त किया जाता है। एवं अपीलांटगण को ग्राम बाला के वर्तमान खसरा नंबर 172 रकबा 1.70 हैक्टेर की भूमि में पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार कमी रकबा 0.50 हैक्टेर भूमि खसरा नंबर 664 में से अपील के साथ संलग्न नक्शा शैड्यूल 'अ' में मार्क 'ए'बी'सी'डी' भू–भाग वाली भूमि कम की जाकर खसरा नंबर 172 में जोडी जाकर खसरा नंबर 172 का कुल नवीन रकबा 2.20 हैक्टेर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आहोर उक्त आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में अपीलांटगण का नाम अमलदरामद करे। एवं रेस्पोडेन्ट को पाबंद किया जाता है कि अपीलांटगण के पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार काबिज स्थित पुराने माठ में रेस्पोडेन्ट नक्शे में मार्क 'ए'बी'सी'डी' भू–भाग पर किसी भी प्रकार की तोड–फोड नहीं करे व किसी अन्य से करावे एवं वर्तमान माठ पर खडे पुराने दरकत को नहीं हटावे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नागिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली